अनन्य विशेष न्यायालय, अनु0जा0अनु0जन0(अ0नि0) अधिनियम, पीलीभीत।

सत्र परीक्षण संख्या 350/2012

एवं

सत्र परीक्षण संख्या 289/2011

राज्य प्रति महेश बाबू शर्मा आदि

अपराध संख्या– 1155ए/2010

धारा 306, 343, 120(बी),504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट

थाना– बरखेड़ा जिला पीलीभीत।

03.7.2023

निस्तारण प्रार्थनापत्र ख–83 अंतर्गत धारा 216 दं0प्र0सं0

1– *प्रारम्भतः* :– यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि न्यायिक प्रक्रिया की यह अजीब बिडंवना है कि उक्त प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये समाज के रसूखदार व प्रभावशाली व्यक्ति गरीब व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को विलंबित कर उसका उददेश्य विफल कर देते हैं और खासकर जब उक्त गरीब व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो तो वह न्याय की बाट जोहते रह जाता है। जब रसूखदार व प्रभावशाली व्यक्ति पुलिस विभाग में कार्यरत हों तथा पुलिस विभाग से उसे सम्पूर्ण विवेचना के दौरान विवेचना के दुरूपयोग के फलस्वरूप अनुचित लाभ प्राप्त हुआ हो तो गरीब गुरबा व्यक्ति के लिए समय से न्याय प्राप्त करना दुरूह व दुष्कर हो जाता है। प्रस्तुत मामला उक्त बानगी को चरितार्थ करता हुआ प्रतीत होता है।

2– पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख–83 अंतर्गत धारा 216 दं0प्र0सं0 एवं आपत्ति 137–क पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण व विद्वान अभियोजन अधिकारी को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। सभी अभियुक्तगण की ओर से आज की हाजिरी माफ किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– *प्रार्थनापत्र ख–83 में किये गये अभिकथन* –प्रार्थी वीरपाल पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम जार कल्लियां थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत द्वारा प्रार्थनापत्र ख–83 अंतर्गत धारा 216 दं0प्र0सं0 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के भाई रामपाल मृतक को यासमीन पुत्री इखलाख को भगाकर ले जाने के जुर्म में चौकी करोड़ थाना बरखेड़ा की पुलिस द्वारा आसाम चौराहा, पीलीभीत से दिनांक 13.8.2010 को गिरफ्तार किया था तथा प्रार्थी के भाई रामपाल को करोड़ चौकी थाना बरखेड़ा में ले जाकर बंद कर दिया तथा चौकी में बुरी तरह मारपीट की। प्रार्थी का भाई मरणासन्न अवस्था में हो गया। तब उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर जान से मारने के इरादे से फंदा खींचा और उसे मरा समझकर बरामदे में डाल दिया। इस बीच में पुलिस वाले महेश बाबू शर्मा एस0आई0 व अन्य पुलिस वाले गाड़ी में डालकर शारदा अस्पताल आये और वहां भर्ती करा दिया। शारदा अस्पताल से पुलिस वालों ने राममूर्ति मेडिकल कालेज बरेली भेजा। बरेली से जिला अस्पताल पीलीभीत लाया गया जहां 39 दिन बाद पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो गयी। प्रार्थी के भाई परमवीर वादी मुकदमा ने दिनांक 15.8.2010 को रिपोर्ट दर्ज करायी तथा पुलिस द्वारा प्रार्थी के भाई रामपाल का पोस्टमार्टम कराया। न्यायालय में वादी मुकदमा परमवीर पी0डब्लू0 1 व वीरपाल पी0डब्लू0 2 के बयान अंकित किये जा चुके हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के रूप में साबित हो चुकी है। पी0डब्लू0 1 व 2 के बयान तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की साक्ष्य को देखने से मामला प्रथम दृष्ट्या हत्या का प्रतीत होता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित 16.12.11 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि विवेचक ने मामले को मिनीमाइज किया है। मामला 302 या 304 भा0दं0सं0 का बनता है। प्रार्थी के भाई रामपाल की मृत्यु करोड़ चौकी थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत में पुलिस हिरासत में हुई है। करोड़ चौकी के पुलिस वालों ने प्रार्थी के भाई रामपाल के विरूद्ध अ0सं0 1155/2010 अंतर्गत धारा 309 भा0दं0सं0 दर्ज किया था जो इस मुकदमे का क्रास केस है तथा प्रार्थी के भाई रामपाल मृतक को अ0सं0 1154/2010 धारा 363, 366, 376 भा0दं0सं0 में गिरफ्तार किया

था। प्रार्थी के भाई रामपाल की मृत्यु पुलिस हिरासत में पुलिस चौकी करोड़ थाना बरखेड़ा में पुलिस वालों की पिटाई से आयी गंभीर चोटों के कारण पुलिस हिरासत में हुई। अतः यह मामला आरोप संशोधन का बनता है। उपरोक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.12.11 पर भी संज्ञान लिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप संशोधित करते हुये हत्या का आरोप निर्धारित किया जावे।

4— *आपत्ति द्वारा अभियुक्तगण* :—उपरोक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति 137—क इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गयी है कि वादी का प्रार्थनापत्र विधिविरूद्ध, कालबाधित है जो निरस्त होने योग्य है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र पर न्यायालय आरोप निर्धारित करती है। वादी अथवा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य आरोप तय करते समय नहीं पढ़े जाते हैं। प्रार्थीगण सरकारी कर्मचारी है। वादी द्वारा धारा 216(5) की कार्यवाही का अनुपालन नहीं किया है। इस कारण प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जा सकता। अभियोजन का प्रार्थनापत्र गुण दोष के आधार पर पूर्व में भी निरस्त किया जा चुका है। उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त होने के बाद कोई अतिरिक्त साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश मुकदमे के गुण दोष के आधार पर नहीं होता इस कारण जमानत में लिखी किसी टिप्पणी को मुकदमे के गुण दोष में शामिल नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश व आदेश नहीं दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4844/2012 दिनांकित 16.11.12 पर पारित टिप्पणी के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.17 को विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है। प्रार्थनापत्र वादी धारा 216 दं0प्र0सं0 उचित माध्यम से नहीं दिया गया है इस कारण विचारण योग्य नहीं है। केवल वाद को लंबित बनाये रखने के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है। वादी की ओर से उनके अधिवक्ता किशन लाल द्वारा सिविल मिस0 रिट पिटीशन सं0 5284/2011 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें कस्टडी डेथ घोषित कराने की याचना की थी, जिसमें वादी पक्ष द्वारा पैरवी नहीं की गयी और उक्त याचिका दिनांक 7.7.2017 को अदम पैरवी में निरस्त हो गयी। अतः वादी का प्रार्थनापत्र धारा 216 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जावे।

5— *अभियोजन पक्ष की दलीलें* :— अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित निजी अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र के संबंध में यह दलील प्रस्तुत की गयी है कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्य एवं दौरान विचारण पत्रावली पर आये साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला मृतक रामपाल के पुलिस कस्टडी में हत्या से संबंधित है, न कि मृतक द्वारा स्वयं आत्महत्या किये जाने से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर अनेक चोटें पायी गयी हैं तथा प्रस्तुत मामले के अन्वेषण में अन्वेषक अधिकारी द्वारा जानबूझ कर शिथिलता व लापरवाही बरतते हुये आरोपपत्र छोटे अपराध में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार आरोप में संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

6— *प्रतिरक्षा पक्ष की दलीलें* :— प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर आरोप अन्वेषण के उपरान्त प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर विरचित किया जाता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 216 दं0प्र0सं0 दिनांक 13.10.2017 को खारिज किया जा चुका है। मृतक रामपाल द्वारा स्वयं अपने पहने हुये कपड़े के नाड़े से आत्महत्या करने का प्रयास किया गया है। जिसके कारण उसके विरूद्ध अ0सं0 1155/2010 अंतर्गत धारा 309 भा0दं0सं0 पंजीकृत की गयी। चौकी करोड़ पर उपस्थित पुलिस/अभियुक्तगण द्वारा रामपाल को तत्परता से शारदा अस्पताल व राममूर्ति अस्पताल ईलाज हेतु ले जाया गया। मृतक की मृत्यु उसके द्वारा किये गये आत्महत्या के प्रयास का परिणाम है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्ष

7– *मुकदमो की श्रंखला* :– प्रस्तुत मामले पर सम्यक विचारण के लिए आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले व इससे संबंधित अन्य मुकदमे का संक्षिप्त उल्लेख इसी स्थान पर किया जाये। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 15.8.2010 को समय करीब 3.10 पर अपराध संख्या 1154/2010 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 भा0दं0सं0 थाना बरखेड़ा पर मोहम्मद अखलाख द्वारा पंजीकृत कराया गया। जिसमें यह अभिकथन किया गया कि मृतक रामपाल द्वारा एक मुस्लिम लड़की, जिसके नाम का उल्लेख आदेश में नहीं किया जा रहा है, को दिनांक 11.8.2010 को भगा ले गया। यह भी अभिकथन किया गया कि अखलाख के परिवार वाले अपनी लड़की व अभियुक्त की तलाश कर रहे थे तथा दिनांक 15.8.2010 को उन्हें अभियुक्त रामपाल व उनकी लड़की मिल गयी जिसे वे लेकर पुलिस चौकी करोड़ पहुंचे। जिसके उपरान्त मृतक रामपाल को पुलिस चौकी करोड़ पर रखा गया तथा बरामद लड़की को उसके परिवार वालों के साथ भेज दिया गया।

8– दिनांक 15.8.2010 को ही रामपाल के भाई परमवीर द्वारा समय करीब रात्रि 10.05 बजे अपराध संख्या निल/2010 थाना सुनगढ़ी में अंतर्गत धारा 308, 323, 504, 506, 343, 120बी भा0दं0सं0, 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पंजीकृत कराया गया। यह अभिकथन किया गया कि मोहम्मद अखलाख की लड़की को भगा ले जाने के जुर्म में रामपाल को पुलिस चौकी करोड़ थाना बरखेड़ा की पुलिस द्वारा आसाम चौराहा पीलीभीत से दिनांक 13.8.2010 को पकड़ा गया। मृतक के पिता अयोध्या प्रसाद व भाई वीरपाल को भी चौकी पर बंद करके रखा गया। दिनांक 14.8.2010 को चौकी इंचार्ज महेश बाबू शर्मा द्वारा अयोध्या प्रसाद से 25000/–रु0 रामपाल को छोड़ने की ऐवज में मांगा गया। दिनांक 15.8.2010 को अयोध्या प्रसाद मु0 20,000/–रु0 लेकर चौकी पहुंचे और अभियुक्त महेश बाबू शर्मा को दिये। इस पर अभियुक्त उन्हें बुरी–बुरी गालियां देने लगा और कहा कि क्योंकि पूरा रूपया नहीं दिया गया है अतः रामपाल को जिन्दा नहीं छोड़ा जायेगा। इसी बीच पीड़िता के परिवारीजन जहूर बख्श, मोहम्मद आरिफ और शेर बहादुर चौकी पर पहुंच गये। वादी के भाई मृतक रामपाल को पुलिस पहले भी काफी पीट चुकी थी। जब पीड़िता के परिवार वालों ने यह कहा कि दरोगा जी तुमने साले रामपाल को मेहमान बना रखा है। इसकी पिटाई सही ढंग से नहीं की है। इसके उपरान्त उक्त दरोगा जी अर्थात महेश बाबू व तीन सिपाही जिनका नाम वादी को नहीं मालूम है, ने रामपाल को कमरे में बंद करके इतना मारा कि वह मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर सभी पुलिस वालों ने जोर से खींचा। इसी बीच वादी की मां पार्वती वहां पहुंच गयी। जब रामपाल मरणासन्न हो गया तो उसे अस्पताल ले गये। दिनांक 16.8.2010 को प्रस्तुत अपराध को अ0सं0 1155ए/2010 में परिवर्तित किया गया।

9– दिनांक 15.8.2010 को ही समय करीब 5.15 बजे अ0सं0 1155/2010 अंतर्गत धारा 309 भा0दं0सं0 थाना बरखेड़ा पर वादी मुकदमा दूध वाले कन्हैया लाल के द्वारा पंजीकृत करायी जिसमें यह अभिकथन किया गया कि वह पुलिस चौकी करोड़ पर दूध देता है। दिनांक 15.8.2010 को शाम करीब 5.00 बजे जब वह पुलिस चौकी पर दूध लेकर गया तथा दूध रखने के लिए कमरा खोला तो उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने गले में नाड़े से अपनी गर्दन में फंदा लगाकर अपने दोनों हाथों से खींचकर आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। उसके शोर मचाने पर चौकी इंचार्ज रामबाबू व गोविन्द सिंह दौड़कर आये जिन्होंने नाड़ा खोला। नाड़ा छुड़ाते ही वह व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया। उक्त व्यक्ति का नाम रामपाल था।

10– दिनांक 15.8.2010 को ही अ0सं0 1544/2010 अंतर्गत धारा 147, 149, 341, 353, 504 भा0दं0सं0 थानाध्यक्ष सुनगढ़ी द्वारा दस अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया जो शारदा अस्पताल, जहां रामपाल को ईलाज हेतु लाया गया था, पर रास्ता रोकने व तोड़फोड़ करने से संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उर्पयुक्त चारों मामले एक ही दिन पंजीकृत किये गये हैं। जहां तक अपराध सं0 1154/2010 का संबंध है, उक्त मामला दिनांक 11.8.2010 का है। इस मामले को शुरू में ही पंजीकृत हो जाना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक रामपाल के साथ अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना जब गम्भीर हो गयी तो एक ही दिन सारे मुकदमे पंजीकृत कर लिये गये हैं। जहां तक अपराध सं0 1155/2010 व अ0सं0 1544/2010

का संबंध है प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मामले अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के उददेश्य से पंजीकृत किये गये हैं।

11— *लोकहित वाद* :— प्रस्तुत मामले में पी0आई0एल0 संख्या 55284/2011 पिपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में इस आशय से संस्थित किया गया कि प्रस्तुत मामला पुलिस अभिरक्षा में हत्या से संबंधित है। अतः इसकी विवेचना सी0बी0आई0 से करायी जाये। उक्त पी0आई0एल0 में पारित आदेश दिनांकित 16.3.2011 द्वारा प्रस्तुत मामले की कार्यवाही स्थगित की गयी तथा उक्त आदेश दिनांक 7.7.2017 तक प्रभाव में रहा जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उर्पयुक्त पी0आई0एल0 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रस्तुत मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी अजितेन्द्र विजय द्वारा सम्पादित की गयी। प्रस्तुत मामले में 90 दिन के अन्दर चार्जशीट न प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त महेश बाबू शर्मा की जमानत अंतर्गत धारा 167(2) दं0प्र0सं0 में स्वीकार की गयी। विवेचनापरान्त आरोपपत्र अंतर्गत धारा 343, 306, 120बी, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण 1— महेश बाबू शर्मा, 2— कां0 रामप्रकाश, 3— कां0 जितेन्द्र सिंह, 4— कां0 गोविन्द सिंह, 5— मोहम्मद आरिफ, 6— जहूर बख्श एवं 7— शेर बहादुर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कि0मिस0 बेल एप्लीकेशन संख्या 4844/2011 के निस्तारण के दौरान दिनांक 16.12.2011 को यह सम्प्रेक्षित किया गया कि यदि प्रस्तुत मामले को गहनता से जांचा जाये तो यह पुलिस अभिरक्षा में हत्या का मामला है जिसमें पुलिस अधिकारीगण संलिप्त हैं तथा विवेचक द्वारा मामले को लघुकृत कर आत्महत्या के दुष्प्रेरण में परिवर्तित कर दिया गया है।

12— यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 3.11.2012 को अभियुक्तगण 1— महेश बाबू शर्मा, 2— कां0 रामप्रकाश, 3— कां0 जितेन्द्र सिंह, 4— कां0 गोविन्द सिंह के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 343, 323/34, 504, 506, 306 सपठित धारा 120बी भा0दं0सं0 एवं 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में विरचित किया गया जबकि अभियुक्तगण मोहम्मद आरिफ, जहूर बख्श एवं शेर बहादुर के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 504, 506, 306 सपठित धारा 120बी भा0दं0सं0 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में विरचित किया गया। तदुपरान्त पी0डब्लू0 1 परमवीर व पी0डब्लू0 2 अयोध्या प्रसाद के बयानात अंकित किये गये। तदुपरान्त यह तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आया कि मामले की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 7.7.2017 को समाप्त हुआ। तदुपरान्त 4.9.2017 को उर्पयुक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध एत्समिनपूर्व उल्लिखित धाराओं में पुनः आरोप विरचित किया गया तथा साक्षीगण परमवीर व अयोध्या प्रसाद के पुनः बयानात अंकित किये गये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में पूर्व में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र 55—ख अंतर्गत धारा 216 दं0प्र0सं0 इसी आशय से प्रस्तुत किया गया था। परंतु दिनांक 13.10.2017 को न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अपरिपक्व होने के कारण निरस्त कर दिया गया और यह सम्प्रेक्षित किया गया कि अभियोजन पक्ष यदि आवश्यक समझे तो इस आशय का प्रार्थनापत्र पुनः दे सकता है। यह भी चिन्ता का विषय है कि प्रस्तुत मामले में द्वितीय प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 216 दं0प्र0सं0 दिनांक 14.8.2019 को प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त प्रार्थनापत्र के निस्तारण में अनपेक्षित विलंब हुआ।

13— *त्रुटिपूर्ण विवेचना* :— उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.08.2010 को रात्रि 10.05 बजे अंतर्गत धारा 308, 323, 504, 506, 343, 120बी भा0दं0सं0, 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस बल से चार व्यक्ति थे जिसमें एस0आई0 रामबाबू नामजद थे तथा अन्य तीन व्यक्तियों का नाम पते की जानकारी वादी को नहीं थी परंतु वे पुलिस चौकी करोड़ पर कार्यरत थे। धारा 308 व 323 भा0दं0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी आघात आख्या के लिखी गयी प्रतीत होती है। सामान्य रूप से जब किसी पुलिस बल के व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जायेगी तो बिना समुचित साक्ष्य के गम्भीर धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होना सामान्य प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत मामले में पीड़ित रामपाल को सर्वप्रथम अभियुक्त महेश बाबू द्वारा प्राईवेट अस्पताल शारदा अस्पताल, पीलीभीत में भर्ती कराया गया है। किन परिस्थितियों में पीड़ित को, जिला मुख्यालय पर सदर

अस्पताल होते हुये भी प्राईवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसके संबंध में विवेचक द्वारा कोई विवेचना नहीं की गयी है। शारदा अस्पताल में पीड़ित की कोई आघात आख्या क्यों नहीं बनायी गयी, इस संबंध में भी विवेचना नहीं की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध शारदा अस्पताल का प्रपत्र क–7/1 के अवलोकन से यह विदित होता है कि पीड़ित को 12.15 ए0एम0 पर एम्बुलेंस से बरेली भेजा गया है। इस प्रकार शाम के 5.15 से रात्रि 12.15 तक पीड़ित शारदा अस्पताल में रहा, परंतु उसके चिकित्सा संबंधी कोई प्रपत्र विवेचक द्वारा संकलित नहीं किया गया है। ऐसे में इस बात की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस बल द्वारा जानबूझ कर पीड़ित को सरकारी अस्पताल में भर्ती न कराकर प्राईवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया जिससे प्राईवेट अस्पताल में अपनी इच्छानुसार रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। तदुपरान्त पीड़ित को राममूर्ति हॉस्पिटल बरेली में भर्ती कराया गया जो कि प्राईवेट हॉस्पिटल है। उक्त अस्पताल में पीड़ित काफी लंबे समय तक भर्ती रहा। उक्त अस्पताल में चले ईलाज के संबंध में बेड हैड टिकट, डिस्चार्ज समरी आदि जैसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रपत्रों को विवेचक द्वारा संकलित नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध इंजरी रिपोर्ट दिनांकित 16.8.2010 में पीड़ित के शरीर पर केवल गर्दन में लीगेचर मार्क दिखाया गया है। किन परिस्थितियों में पुलिस बल द्वारा पीड़ित को प्राईवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके संबंध में विवेचक द्वारा कोई अभिमत नहीं दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़ित के विरूद्ध धारा 309 भा0दं0सं0 के अंतर्गत वाद दिनांक 15.8.2010 को शाम 5.15 बजे पंजीकृत कराया गया है तथा उसी समय पर पीड़ित को शारदा अस्पताल में पहुंचाना दर्शित किया गया है। किन परिस्थितियों में अनपेक्षित तत्परता के साथ धारा 309 भा0दं0सं0 में मामला पंजीकृत किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। यह पुलिस की मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होता है। विवेचना में नाड़ा का कोई सीजर मैमो नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार जब दिनांक 23.9.2010 को पीड़ित की मृत्यु के उपरान्त 24.9.2010 को उसका शव विच्छेदन किया गया है तो उक्त शव विच्छेदन को पूरी तरह से केस डायरी में अंकित नहीं किया गया है क्योंकि उसमें मृतक के शरीर पर चोटों का उल्लेख है। शव विच्छेदन मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया है जिसमें डा0 सुबोध कुमार, डा0 सी0बी0 चौरसिया व डा0 एस0 के0 मिश्रा सम्मिलित थे, परंतु विवेचक द्वारा उनका बहुत ही सामान्य कथन अंकित किया गया है। चोटों के संबंध में उनसे कोई प्रश्न नहीं किया गया है। पीड़ित व्यक्ति का बयान अंतर्गत धारा 161/164 दं0प्र0सं0 अथवा मृत्युकालिक कथन अंकित नहीं कराया गया है। इसी प्रकार पुलिस चौकी करोड़ की जी0डी0 को विवेचना का भाग नहीं बनाया गया है। साक्षीगण परमवीर, पार्वती, शिवदयाल, सरस्वती, वीरपाल व गुडडी देवी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथनों का समर्थन अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा 161 में किया है। इसी प्रकार डोरी लाल एवं मथुरा प्रसाद ने भी आंशिक रूप से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। परंतु विवेचक द्वारा किन परिस्थितियों में उनके बयानात पर विश्वास नहीं किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। साक्षीगण प्रमोद शर्मा, रामस्वरूप, अशोक कुमार, सोमपाल, ऋषिपाल एवं कन्हई लाल ने अपने–अपने बयान 161 में पीड़ित द्वारा आत्महत्या किये जाने का प्रयास का कथन किया है। किन्तु इन गवाहान के घटनास्थल, पुलिस चौकी करोड़ पर उपस्थिति किस प्रकार थी, इसके संबंध में कोई अभिमत विवेचक द्वारा नहीं दिया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि पीड़िता ने घटनास्थल करोड़ पुलिस चौकी में यह कथन किया कि उसका रामपाल से कोई प्रेम प्रसंग नहीं है तथा रामपाल उसे जबरदस्ती ले गया था तथा उसके साथ बलात्संग कारित किया गया है तो रामपाल आहत हो गया और उसने आत्महत्या का प्रयास किया। विवेचक का उक्त निष्कर्ष युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है तथा उक्त निष्कर्ष मनमानापूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि घ टना के अनेक साक्षीगण ने अपने–अपने बयानात 161 दं0प्र0सं0 में घटना का समर्थन किया है। इस बात का उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि विवेचक द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि अभियुक्त कां0 रामप्रकाश पीड़िता को दिनांक 15.8.2010 को शाम करीब 5.00 बजे मेडिकल परीक्षण हेतु सदर अस्पताल लेकर गया था, परंतु ऐसा कोई मेडिकल प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि हो। यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा इस संबंध में कोई विवेचना नहीं की गयी है कि क्या मृतक रामपाल द्वारा शारदा अस्पताल अथवा राममूर्ति अस्पताल में ईलाज के दौरान कोई बयान संबंधित डाक्टर को दिया गया है अथवा नहीं तथा संबंधित डाक्टर ने उक्त बयान को अंकित किया है अथवा नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से निष्कर्षित होता है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा मनमाना व पक्षपातपूर्ण

विवेचना करते हुये अपराध को लघुकृत कर पुलिस अभिरक्षा में हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप देते हुये आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

14— *आरोप की विरचना* :— उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 4.9.2017 को अभियुक्तगण 1— महेश बाबू शर्मा, 2— कां0 रामप्रकाश, 3— कां0 जितेन्द्र सिंह, 4— कां0 गोविन्द सिंह के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 343, 323/34, 504, 506, 306 सपठित धारा 120बी भा0दं0सं0 एवं 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में विरचित किया गया जबकि अभियुक्तगण मोहम्मद आरिफ, जहूर बख्श एवं शेर बहादुर के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 504, 506, 306 सपठित धारा 120बी भा0दं0सं0 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में विरचित किया गया। प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी आपत्ति में यह अभिवाक् लिया गया है कि न्यायालय द्वारा आरोपपत्र के आधार पर आरोप विरचित किया जाता है। वादी अथवा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य आरोप विरचित करते समय नहीं पढ़े जा सकते हैं। प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल नहीं है। आरोप विरचित किये जाने के वक्त पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुये धारा 302 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थे। क्योंकि परमवीर, पार्वती, शिवदयाल, सरस्वती, वीरपाल व गुडडी देवी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया था तथा पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर आयी चोटों का उल्लेख भी था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***धरमपाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य*** *क्रिमिनल अपील संख्या 865/2004 निर्णीत दिनांकित 18.7.2013 एवं* ***नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** *क्रिमिनल अपील नं0 443/2022 निर्णीत दिनांकित 16.3.2022* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सेशन न्यायालय मामले का संज्ञान लेते वक्त आरोपपत्र से भिन्न धाराओं में भी संज्ञान ले सकता है तथा आरोपपत्र में नामित अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य लोगों के विरूद्ध भी मामले का संज्ञान ले सकता है।

15— *पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व आरोप में परिवर्तन के संबंध में* :— उल्लेखनीय है कि धारा 216 दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के अंतर्गत निर्णय पारित करने से पूर्व किसी भी प्रक्रम में आरोप में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***अनन्त प्रकाश सिन्हा बनाम हरियाणा राज्य*** *(2016) 6 एस0सी0सी0 105* के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय आरोप में त्रुटि को किसी भी स्तर पर परिवर्तित कर सकती है। ऐसा परिवर्तन पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, अन्य प्रपत्र व दौरान विचारण आये साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। यदि पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध होते हुये भी आरोप विरचित नहीं किया गया है तो न्यायालय को आरोप में परिवर्धन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि जब तक पत्रावली पर साक्ष्य अभिलिखित नहीं कर लिये जाते हैं, पूर्व में विरचित आरोप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पत्रावली पर दौरान विचारण साक्ष्य अभिलिखित होने के पूर्व अथवा पश्चात आरोप में परिवर्तन व परिवर्धन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि साक्षीगण परमवीर, पार्वती, शिवदयाल, सरस्वती, वीरपाल व गुडडी देवी ने अपने—अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर आयी चोटों का उल्लेख भी था। पी0डब्लू0 1 परमवीर ने अपने बयान दिनांकित 20.9.18 में अभियेाजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है और कहा है कि पुलिस वालों ने दिनांक 13.8.2010 को रामपाल को आसाम चौराहे से पकड़ा था। दिनांक 14.8.2010 को चौकी इंचार्ज महेश बाबू ने रामपाल को छोड़ने के ऐवज में 25000/—रु0 की मांग अयोध्या प्रसाद से की थी। दिनांक 15.8.2010 को जब अभियुक्तगण जहूर बख्श, मोहम्मद आरिफ व शेर बहादुर चौकी करोड़ पर पहुंचे और पुलिस वालों से कहा कि रामपाल को आपने मेहमान बनाकर रखा है इसकी ठीक से पिटाई तक नहीं की है। इसके उपरान्त चौकी इंचार्ज व तीनों सिपाही ने रामपाल को कमरे में बंद करके पिटाई की। जब वह गिर गया तो महेश बाबू ने जान से मारने की नीयत से रस्सी का फंदा रामपाल के गले में डालकर सिपाहियों की मदद से खींचा। जब वह मरणासन्न हो गया तो उसे शारदा अस्पताल ले गये। इसके उपरान्त राममूर्ति अस्पताल ले गये जहां वह लगभग 38 दिन भर्ती रहा। फिर वहां से पुलिस वाले उसे सरकारी अस्पताल, पीलीभीत ले आये जहां दूसरे दिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। पी0डब्लू0 2 अयोध्या

प्रसाद ने भी अपने सशपथ बयान दिनांकित 10.10.2019 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और कहा है कि दिनांक 13.8.2010 को महेश बाबू शर्मा उसे घर से पकड़कर चौकी ले गये और वहां बैठा लिया। दिनांक 14.8.2010 को उसके दोनों लड़के जय प्रकाश और वीरपाल को पकड़कर चौकी पर ले आये। उसी दिन पीड़िता के परिवार वालों की सूचना पर मदन बाबू रामपाल को आसाम चौराहे से पकड़कर चौकी पर ले आये और उसके तीनों लड़को को एक कमरे में बंद कर दिया। उसी दिन शाम को महेश बाबू ने उससे 25000/–रु0 की मांग की। दिनांक 15.8.2010 को उसने दिन के 2.30 बजे चौकी पर पहुंचकर 20,000/–रु0 दिये। जब पीड़िता के परिवार वाले मोहम्मद अखलाख, शेर बहादुर, आरिफ व जहूर बख्श आये तो उन्होंने दरोगा जी से कहा कि उन्होंने रामपाल को मेहमान बनाकर बिठा रखा है। तब महेश बाबू ने रस्सी का फंदा रामपाल के गले में डाल दिया और तीनों सिपाही ने रस्सी का फंदा खींचा जिससे रामपाल जमीन पर गिर गया। महेश बाबू ने रामपाल को लात से मारा। फिर वे रामपाल को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गये। करीब 39 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के पश्चात रामपाल की मृत्यु जिला अस्पताल, पीलीभीत में हो गयी। पी0डब्लू0 3 वीरपाल ने अपने बयान दिनांकित 16.4.2019 में उर्पयुक्त कथनों का समर्थन किया है और कहा है कि दिनांक 14.8.2010 को पुलिस वालों ने रामपाल व पीड़िता को आसाम चौराहे से पकड़ा और पुलिस चौकी करोड़ ले गये। अगले दिन जहूर बख्श, आरिफ व शेर बहादुर थाने पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि साले रामपाल को मेहमान बनाकर रखा है। इसकी ढंग से पिटाई भी नहीं की है। इसके बाद महेश बाबू ने रामपाल की बुरी तरह से पिटाई की। उसके सामने उसके भाई के गले में रस्सी का फंदा डालकर जान से मारने के ईरादे से एक तरफ महेश बाबू ने तथा दूसरी तरफ सिपाहियों ने फंदा खींच लिया। रामपाल को मरा हुआ समझकर बरामदे में डाल दिया। इसी बीच साक्षी की मां पार्वती भी घटनास्थल पर आ गयी। इसके बाद पुलिस वाले रामपाल को शारदा अस्पताल तथा उसके पश्चात राममूर्ति अस्पताल ईलाज हेतु ले गये। इस प्रकार तथ्य के सभी साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि महेश बाबू, रामप्रकाश, जितेन्द्र सिंह व गोविन्द सिंह ने रामपाल की पिटाई पुलिस चौकी करोड़ में की तथा उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर जान से मारने की नीयत से फंदे को खींचा जिससे वह मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। यह घटना पुलिस चौकी पर मोहम्मद आरिफ, जहूर बख्श व शेर बहादुर के आने के उपरान्त हुई। उन लोगों ने पुलिस वालों को उकसाते हुये कहा कि रामपाल को मेहमान बनाकर रखा है इसकी पिटाई क्यों नहीं करते।

16– *चिकित्सीय साक्ष्य* :– पी0डब्लू0 4 डा0 सुनील कुमार मिश्रा जिनके द्वारा दिनांक 23.9.2010 को मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है ने अपने बयान दिनांकित 23.12.2019 में मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी हैं :–

चोट नं0 1– जख्म जिस पर गंदगी व सड़ी हुई त्वचा लगी थी। जो कि 07 X 06 से0मी0 के आकार का सिर के पीछे मौजूद था।

चोट नं0 2 – जख्म 12 से0मी0 X 2 से0मी0 कमर के नीचे जिस पर गंदगी व भरी हुई त्वचा मौजूद थी।

चोट नं0 3– एक प्रेशर सोल 06 से0मी0 X 05 से0मी0 बायीं जांघ के उपरी भाग पर।

चोट नं0 4– एक आंशिक रूप से ठीक हुई खराश 09 से0मी0 X 7 से0मी0 सीने के बायीं तरफ जो कि बायीं आर्मपिट से 12 से0मी0 नीचे था।

चोट नं0 5– दाहिने कंधे के उपर एक सेटल वीनस लाईन मौजूद थी।

चोट नं0 6– एक ट्रैक्योसटोम 02 X 02 से0मी0 गर्दन के सामने व नीचे की तरफ तथा सुप्रा स्टरनल नोच से 2.5 से0मी0 नीचे।

इस साक्षी द्वारा मृतक की मृत्यु के संबंध में यह अभिमत दिया गया है कि रामपाल की मृत्यु ब्रेन इन्फैक्ट्स (Brain Infarcts) के कारण हुये कोमा के कारण हुई है। उल्लेखनीय है कि ब्रेन इन्फार्क्सन तब होता है जब मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में रूकावट आ जाये। इस कारण मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिससे मृत्यु कारित होना सम्भव है। उल्लेखनीय है कि मोदी द्वारा लिखित पुस्तक मेडिकल ज्यूरिसपूडेन्स एण्ड टॉक्सीलोजी में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि कोई व्यक्ति स्वयं की हत्या गला दबाकर नहीं कर सकता है। यह लगभग असम्भव है कि कोई व्यक्ति अपने पहने हुये कपड़े के नाड़े से स्वयं का गला दबाकर आत्महत्या कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त घटना के उपरान्त रामपाल लगातार अस्पताल में भर्ती रहा है तथा पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर चोटें

पायी गयी हैं। उक्त चोटें काफी पुरानी हैं। उक्त चोटें दौरान ईलाज कारित नहीं की जा सकती हैं। अतः स्पष्ट है कि उक्त चोटें भर्ती होने के पूर्व की हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के करीब 40 दिन पश्चात पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी है और इतने लम्बे समय के अन्तराल में निश्चित ही मृतक के शरीर पर आयी अन्य चोटें ठीक हो गयी होंगी जो पोस्टमार्टम की कार्यवाही में सामने नहीं आ सकीं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा न्यायालय का ध्यान पी0डब्लू0 5 सुनील चन्द्रा के साक्ष्य की ओर से इंगित किया गया है। उक्त डाक्टर जो राममूर्ति अस्पताल में थे उन्होंने अपनी आघात आख्या दिनांकित 16.8.10 में रामपाल के शरीर पर लीगेचर मार्क के अलावा किसी अन्य चोट के विद्यमान होने से इन्कार किया है। स्पष्ट है कि इस साक्षी का उक्त साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा अभिलेख के प्रतिकूल है। जब इस साक्षी से जिरह में यह प्रश्न पूछा गया कि क्या मृतक का लीगेचर मार्क उस स्थिति में आ सकता है जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा गले में रस्सी का फंदा डालकर खींचा जाये तो इस साक्षी ने यह कहा कि इस संबंध में वे कोई राय नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस साक्षी को अभियुक्तगण द्वारा अपने प्रभाव में लेकर आघात आख्या बनवाई गई है। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू0 6 डा0 शंशाक शाह जो राममूर्ति अस्पताल में कार्यरत थे ने अपने बयान में कहा है कि रामपाल भर्ती के समय बेहोश था और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जब इस साक्षी से यह पूछा गया कि रामपाल को किसके द्वारा रैफर किया गया था तो उन्होंने कोई स्पष्ट जबाब नहीं दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस साक्षी ने भी तथ्यों का गोपन किया है। अतः सम्पूर्ण चिकित्सकीय साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मृतक रामपाल के शरीर पर मृत्युपूर्व चोटें विद्यमान थी तथा यह भी स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति स्वयं गला दबाकर आत्महत्या नहीं कर सकता है।

17— *धारा 216(5) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति* :— प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी आपत्ति में इस प्रश्न को उठाया गया है कि धारा 216(5) दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त किये वगैर प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तुत मामले में चार अभियुक्तगण पुलिस कर्मचारी हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 216(5) दं0प्र0सं0 यह प्राविधानित करती है कि यदि परिवर्तित/परिवर्धित आरोप इस प्रकार का है कि उसके लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता हो तो वाद की कार्यवाही आगे तब तक संचालित नहीं की जायेगी जब तक कि अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती है। उक्त धारा में आगे यह भी प्राविधानित किया गया है कि यदि उन तथ्यों के आधार पर, जिनके आधार पर परिवर्तित/परिवर्धित आरोप विरचित किया गया है, अभियोजन स्वीकृति पूर्व में प्राप्त कर ली गयी है तो पुनः अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में उर्पयुक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में अभियोजन स्वीकृति दिनांक 4.3.2011 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः ऐसे में पुनः अभियेाजन स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

18— *निष्कर्ष* :— पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उर्पयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मृतक रामपाल को पुलिस चौकी करोड़ की पुलिस द्वारा आसाम चौराहा, पीलीभीत से पकड़कर पुलिस चौकी में बिना रिमाण्ड प्राप्त किये परिरूध किया गया। चौकी इंचार्ज महेश बाबू तथा चौकी पर कार्यरत कां0 रामप्रकाश, कां0 जितेन्द्र सिंह एवं कां0 गोविन्द सिंह द्वारा दिनांक 15.8.2010 को रामपाल के साथ बेरहमी से पुलिस अभिरक्षा में मारपीट की गयी। मोहम्मद आरिफ, जहूर बख्श व शेरबहादुर के पुलिस चौकी पहुंचने के उपरान्त उनके उकसावे पर पुनः रामपाल के साथ मारपीट की गयी तथा उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर महेश बाबू, रामप्रकाश, जितेन्द्र सिंह व गोविन्द सिंह द्वारा खींचा गया जिससे वह मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। जानबूझ कर महेश बाबू शर्मा द्वारा रामपाल को सदर अस्पताल की जगह प्राईवेट अस्पताल शारदा हॉस्पिटल, पीलीभीत में ले जाया गया। उक्त अस्पताल में रामपाल की कोई आघात आख्या तैयार नहीं की गयी। उक्त अस्पताल के मेडिकल प्रपत्र को विवेचना के दौरान प्राप्त नहीं किया गया। तदुपरान्त उसी रात को रामपाल को प्राईवेट हॉस्पिटल राममूर्ति अस्पताल, बरेली में भर्ती कराया गया। जहां वह करीब 38 दिनों तक भर्ती रहा। दिनांक 16.8.2010 को तैयार किये गये आघात आख्या में जानबूझ कर रामपाल के शरीर पर आयी चोटों का गोपन किया गया।

दिनांक 24.9.2010 को सरकारी अस्पताल, पीलीभीत में हुये पोस्टमार्टम की कार्यवाही में मृतक के शरीर पर चोटें पायी गयीं। निश्चित ही उक्त चोटें मृतक द्वारा स्वयं कारित नहीं की गयी थीं। अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त उक्त चोटें नहीं आ सकती हैं। अतः स्पष्ट है कि उक्त चोटें अस्पताल में भर्ती होने के पूर्व से विद्यमान थीं। कोई व्यक्ति स्वयं का गला उस सीमा तक नहीं दबा सकता जिससे उसकी मृत्यु हो जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक अनुसूचित जाति का सदस्य था तथा अभियुक्तगण को इस बात का ज्ञान था, क्योंकि अभियुक्तगण ने जातिसूचक गालियों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार मुकदमा वादी परमवीर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराये गये तथ्यों युक्तिसंगत व विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। अतः अभियुक्तगण महेश बाबू शर्मा, रामप्रकाश, जितेन्द्र सिंह व गोविन्द सिंह के द्वारा रामपाल के शरीर पर कारित चोटें ऐसी क्षति कारित करने के आशय से की गयी है जिससे अपराधी जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है। उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा जानबूझ कर कारित की गयी हैं तथा अभियुक्तगण मोहम्मद आरिफ, जहूर बख्श व शेरबहादुर के द्वारा उकसाये जाने पर उक्त अभियुक्तगण ने पुनः रामपाल के साथ मारपीट की तदुपरान्त रस्सी से गला दबाकर गम्भीर चोटें कारित कीं जिसके परिणामस्वरूप दौरान ईलाज रामपाल की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी अभियुक्तगण अवैध कार्य करने हेतु सहमत हुये। जिसके कारण रामपाल की मृत्यु हुई है। अतः अभियुक्तगण आपराधिक षडयंत्र के भी दोषी हैं। अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा वादी, उसके पिता अयोध्या प्रसाद, मां पार्वती देवी व मृतक रामपाल के साथ गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी भी दी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त कृत्य सामान्य आशय की पूर्ति में कारित किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण महेश बाबू शर्मा, रामप्रकाश, जितेन्द्र सिंह, गोविन्द सिंह के विरूद्ध धारा 323 सपठित धारा 34, 302 सपठित धारा 34, 120 बी, 343 सपठित धारा 34, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3(2)(5) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट एवं अभियुक्तगण मोहम्मद आरिफ, जहूर बख्श व शेर बहादुर के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 120 बी, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3(2)(5) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के आरोप विरचित होते है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण महेश बाबू शर्मा, रामप्रकाश, जितेन्द्र सिंह, गोविन्द सिंह के विरूद्ध पूर्व में अंतर्गत धारा 343, 323 / 34, 504, 506, 306 / 120बी एवं धारा 3(2)(5) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के आरोप मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा विरचित किये गये थे, तथा अभियुक्तगण मोहम्मद आरिफ, जहूर बख्श व शेर बहादुर के विरूद्ध धारा 306 सपठित धारा 120बी, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के आरोप पूर्व में मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा विरचित किये गये थे। अतः उपरोक्तानुसार आरोप संशोधित किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है तथा वादी मुकदमा का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 216 दं0प्र0सं0 ख–83 तद्नुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख–83 अंतर्गत धारा 216 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है।

2– अभियुक्तगण महेश बाबू शर्मा, रामप्रकाश, जितेन्द्र सिंह व गोविन्द सिंह के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 4.9.2017 को विरचित प्रथम आरोप अंतर्गत धारा 343 में धारा 343 के उपरान्त सपठित धारा 34 परिवर्धित किया जाये तथा पूर्व में विरचित पंचम आरोप अंतर्गत धारा 306 सपठित धारा 120बी को कलमजद करते हुये संशोधित आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 विरचित किया जाये तथा आरोप अंतर्गत धारा 120 बी भा0दं0सं0 पृथक से विरचित किया जाये।

3– अभियुक्त मोहम्मद आरिफ, जहूर बख्श व शेरबहादुर के विरूद्ध दिनांक 4.9.2017 को विरचित प्रथम आरोप अंतर्गत धारा 306 सपठित धारा 120बी को कलमजद करते हुये, उसके स्थान पर आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 120बी विरचित किया जाये।

4– अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में विरचित शेष आरोप यथावत रहेंगें।

5— पत्रावली वास्ते लगाये जाने संशोधित/परिवर्धित आरोप दिनांक 13.7.2023 को पेश हो। सभी अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से उक्त तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगें।

(महेशानंद झा)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
पीलीभीत।

दिनांकः 03.7.2023
अशोक कुमार

Digitally signed by Mahesha Nand Jha
Date: 2023.07.04 12:00:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court